कार्यालय सेनानी द्वितीय वाहिनी,
भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल,
गृह मंत्रालय(भारत सरकार),
पो०ओ०–बबेली, जिला–कुल्लू (हि०प्र०)–175138
कन्ट्रोल रूम / फैक्स नंबर–01902–230631

दिनांक– 31-07-24

"कारण बताओ" नोटिस

क्योंकि, दल संख्या 210020621 कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) हरिनखेड़े अदित्य रोशनलाल, द्वितीय वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल दिनांक 11.04.2024 (अप्रा०) से बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के 67 दिन अर्जित अवकाश से अनुपस्थित है। कर्मी को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा–74 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत गठित न्यायिक जाँच समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 12.04.2024 (पूर्वा०) से भा०ति०सी०पु० बल अधिनियम 1992 की धारा 74(2) के अंतर्गत द्वितीय वाहिनी के आदेश संख्या–2707 दिनांक–24.06.2024 के तहत भगौड़ा घोषित किया गया है। कर्मी को द्वितीय वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 561 दिनांक 16.04.24 ज्ञापन संख्या 1698 दिनांक 25.04.24 एवं ज्ञापन संख्या 1886 दिनांक 07.05.24 के तहत ड्यूटी पर आमद देने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात् द्वितीय वाहिनी भा०ति०सी०पु० के पत्र संख्या–179 दिनांक 13.05.24 के तहत स्थानीय पुलिस, अधीक्षक, जिला–गोंदिया (महाराष्ट्र) से भी कर्मी की गिरफ्तारी हेतु अनुरोध किया गया था।

02. अब इस नोटिस के माध्यम से उक्त मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दल संख्या–210020621 कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) हरिनखेड़े अदित्य रोशनलाल, द्वितीय वाहिनी अपनी ओर से कोई प्रतिवेदन करना चाहता है अथवा आत्मसमर्पण करना चाहता है तो वह सेनानी, द्वितीय वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को लिखित रूप से इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर ऐसा कर सकता है।

31/7/24
(देवेन्द्र सिंह परमार)
सेनानी
द्वितीय वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल

सेनानी
Commandant
द्वितीय वाहिनी भा०ति०सी० पुलिस
2nd Bn. I.T.B.Police

CBC 19112/11/0105/2425